

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक:- मु०अ०(नि०)रा०यो०(नाबार्ड)-76/2025 -4224 /पटना, दिनांक-

08/8/25

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मुंगेर, नवादा, सारण, सीतामढ़ी, पटना, मधुबनी एवं लखीसराय जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, नवगछिया, पटोरी, बेनीपुर, खड़गपुर-तारापुर, रजौली, सोनपुर, बेलसंड, समस्तीपुर, बाढ़, झंझारपुर एवं लखीसराय में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 15 (पन्द्रह) पुलों के निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मुंगेर, नवादा, सारण, सीतामढ़ी, पटना, मधुबनी एवं लखीसराय जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, नवगछिया, पटोरी, बेनीपुर, खड़गपुर-तारापुर, रजौली, सोनपुर, बेलसंड, समस्तीपुर, बाढ़, झंझारपुर एवं लखीसराय में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 15 (पन्द्रह) पुलों के निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 482.790 मी० के निर्माण की राशि ₹ 49.15731 करोड़ (उनचास करोड़ पन्द्रह लाख तिहत्तर हजार एक सौ रुपया मात्र) है- हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी० में)	निर्माण कार्य की राशि (लाख में)	अनुसूचना मद की राशि (लाख में)	कॉटिजेंसी की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	Navagachhiya	Navagachhiya	Const of HL RCC Bridge on markoshi dhar between railway station road in rajendra colony	58.080	446.580	2.640	10.050	459.270
2	Patori	Patori	Construction of HL RCC Bridge over Baya River at Goargama Ghat in place of old Bridge on the Patori purani bazar to Mukundpur Via Mohanpur Road under Patori Block in the District of Samastipur.	38.760	378.836	1.799	8.523	389.158
3	Patori	Patori	Construction of HL RCC Bridge over Baya River in the place of damage Bridge Lohsari Ghat at the Taradhamouan Village in Tara dhamouan Dih Tola under Patori Block in the District of Samastipur.	38.760	368.438	2.118	8.289	378.845
4	Benipur	Benipur	Nandi Pipal per ke samip jiwach phodi main puliya nirman karya	20.100	140.938	1.134	3.171	145.243

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी० में)	निर्माण कार्य की राशि (लाख में)	अनुसंधान मद की राशि (लाख में)	कटिजेंसी की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
5	kharagpur-Tarapur	Tetia Bamber	Const of HL Bridge over mahane river in between banber market and barsand shear	51.370	467.791	2.216	10.525	480.532
6	Rajuali	Akbarpur	Construction of HL RCC Bridge over Khuri River in Akbarpur Block at Gram panchyat Kulna	51.370	445.817	4.879	10.031	460.727
7	Sonepur	Maker	Narai tola se phulwariya yadav tola tak	12.100	130.416	1.933	2.934	135.283
8	Belsand	Suppi	Narha pataniya se nanakar path main box bridge ka nirman karya	17.100	112.23	1.65	2.525	116.405
9	Samastipur	Khanpur	RFO Path khatuaha se mujari chak mahi path ke ch 3.9 km par RCC pul nirman karya	30.260	312.149	1.774	7.023	320.946
10	Samastipur	Samastipur	SH Tajpur road se via power house hote hua mukundpur jane wali sadak main damaged pul ke sthan par RCC pul nirman karya	30.260	309.95	1.762	6.973	318.685
11	Samastipur	Warisnagar	Varisnagar main raghunathpur se kishanpur jane wali sadak main khokha nahar par rcc pul ka nirman karya	38.760	433.611	4.675	9.756	448.042
12	Barh	Barh	HL RCC Bridge on mohancy river at NH 30 A to brahmini sthan	19.400	283.244	0.268	6.373	289.885
13	Barh	Mokama	Mor se tartar path main sluice gate ke pas uchha stariya pul nirman karya	30.260	452.276	3.425	10.176	465.877
14	Jhanjharpur	Jhanjharpur	Madhubani jilantargat prakhand jhanjharpur adharia noniya tol path main sugarvay nadi par jarjar RCC pul nirman karya ke sambhand main	33.000	418.628	4.759	9.419	432.806
15	Lakhisarai	Lakhisarai	NH 80 jhakhar se ramnagar via amhara path main puliya ka nirman karya	13.210	71.175	1.224	1.628	74.027
			कुल	482.790				4915.731

- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
- योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
- इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष, विषय शीर्ष 5301 जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- इन योजनाओं के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुसंधान की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)- उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 991.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

9. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या मु०अ०(नि०)रा०यो०-572/2024 में प्राप्त है।
10. स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका संख्या मु०अ०(नि०)रा०यो०(नाबार्ड)-76/2025 के पृष्ठ संख्या-13/टि० पर प्राप्त है।
11. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
12. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
14. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०)रा०यो०(नाबार्ड)-76/2025 के पृष्ठ संख्या- 21/टि० पर दिनांक 08/08/25 को प्राप्त है।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
17. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
18. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.2011 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।
19. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव